NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 16-12-2025

विषय सूची

» विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: वीबी जी राम जी विधेयक, 2025

» दहेज प्रथा का उन्मूलन एक आवश्यक संवैधानिक, सामाजिक आवश्यकता है: सर्वोच्च न्यायालय

» मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति

» सिलीसेढ़ झील और कोप्रा जलाशय नए रामसर स्थलों के रूप में नामित

» मैंग्रोव की कोशिकाएं पौधों को लवणीय जल में तनाव सहन करने में सहायक

संक्षिप्त समाचार

» पेरुम्बिदुगु मुथारैयार

» प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा

» भारत-एडीबी द्वारा 2.2 अरब डॉलर से अधिक के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर

» संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन

» राष्ट्रीय रक्त संक्रमण विधेयक 2025

» ध्रुव64 (DHRUV64)

» राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: वीबी जी राम जी विधेयक, 2025

संदर्भ

- ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में *विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी जी राम जी विधेयक, 2025* प्रस्तुत किया।

परिचय

- यह विधेयक *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा)* को प्रतिस्थापित करेगा।
- यह कदम "मांग-आधारित ढाँचे" से "आपूर्ति-आधारित योजना" की ओर बदलाव को दर्शाएगा।

मुख्य वैधानिक प्रावधान

- **वर्धित आजीविका गारंटी**: यह ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर देगा, उन वयस्कों के लिए जो अकुशल श्रम कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।
- **केंद्रीय प्रायोजित योजना**: यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच साझा जिम्मेदारियों के साथ एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी।
  - **वित्तीय साझेदारी पैटर्न**: उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 तथा अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40 का अनुपात होगा।
- **राज्यों को मानक आवंटन**: राज्यों को जिलों और ग्राम पंचायतों में पारदर्शी एवं आवश्यकता-आधारित धन वितरण सुनिश्चित करना होगा, जिसमें पंचायतों की श्रेणी तथा स्थानीय विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- **मजदूरी दर विनिर्देशन**: अकुशल श्रम कार्य के लिए मजदूरी दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी; जब तक अलग दरें अधिसूचित नहीं होतीं, तब तक वर्तमान मनरेगा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।
- **कृषि के चरम मौसम की सुरक्षा**: राज्यों को अग्रिम रूप से 60 दिनों की अवधि अधिसूचित करने का अधिकार होगा, जो बुवाई और कटाई के चरम समय को कवर करेगी। इस दौरान विधेयक के अंतर्गत कार्य नहीं किए जाएंगे ताकि पर्याप्त कृषि श्रमिक उपलब्ध रह सकें।
- **बेरोजगारी भत्ता**: यदि पात्र आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।
- **राज्य योजनाएँ छह माह में**: प्रत्येक राज्य सरकार को विधेयक लागू होने के छह माह के अंदर अपनी योजना अधिसूचित करनी होगी ताकि गारंटी को क्रियान्वित किया जा सके।
- **वीजीपीपी आधारित योजना**: योजना निर्माण *विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं* के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें ग्राम पंचायतें तैयार करेंगी और राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- **संस्थागत पर्यवेक्षण**: *केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद* और *राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों* का गठन किया जाएगा ताकि अपने-अपने क्षेत्रों में विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा, निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

विधेयक से संबंधित चिंताएँ

- **राज्यों पर अत्यधिक भार** : मनरेगा में केंद्र 100% मजदूरी लागत और 75% सामग्री लागत वहन करता था। लेकिन वीबी-जी राम जी विधेयक में 60:40 केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी का प्रावधान है, जिससे कई राज्यों को अपनी 40% हिस्सेदारी एकत्रित करने में कठिनाई हो सकती है।
  - इससे राज्यों में असमान क्रियान्वयन का जोखिम बढ़ेगा और क्षेत्रीय विषमताएँ और गहरी हो सकती हैं।
- **पीएमएफबीवाई से सबक**: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी इसी तरह की लागत साझेदारी थी, जिसके कारण राज्यों की 50% प्रीमियम सब्सिडी देने में असमर्थता से विलंब हुआ, कवरेज कमजोर रहा और विश्वसनीयता घटी।

- **मांग-आधारित से आपूर्ति-आधारित आवंटन की ओर बदलाव**: मनरेगा में पहले राज्यों द्वारा नीचे से ऊपर की ओर मांग-आधारित अनुमान लगाया जाता था।
  - नए विधेयक में ऊपर से नीचे की ओर "मानक" आवंटन का प्रावधान है, जिसके मानदंड केंद्र द्वारा एकतरफा तय किए जाएंगे।

निष्कर्ष

- बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकीकृत *सम्पूर्ण-सरकार ग्रामीण विकास ढाँचे* की आवश्यकता है, जिसमें कई पूरक सरकारी योजनाओं का समावेश हो।
- राष्ट्रीय विकास की प्रगति के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण आवश्यक है ताकि वे उभरती आवश्यकताओं और आगे की आकांक्षाओं के अनुरूप बने रहें।

Source: PIB

दहेज प्रथा का उन्मूलन एक आवश्यक संवैधानिक, सामाजिक आवश्यकता है: सर्वोच्च न्यायालय

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज-विरोधी कानूनों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने हेतु प्रणालीगत निर्देश जारी किए।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि दहेज एक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बुराई है जो सभी समुदायों में व्याप्त है और इसके लिए केवल दंडात्मक प्रावधान ही नहीं बल्कि संस्थागत जवाबदेही भी आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- **न्यायिक निगरानी**: उच्च न्यायालयों को आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज मृत्यु) और 498-ए (क्रूरता) के अंतर्गत लंबित मामलों की शीघ्र निपटान हेतु निगरानी करनी होगी, तथा अनुपालन समीक्षा के लिए निर्णय का प्रसार करना होगा।
- **प्रशासनिक प्रवर्तन**: राज्यों को *दहेज निषेध अधिनियम, 1961* की धारा 9 के अंतर्गत दहेज *निषेध अधिकारी (DPOs)* नियुक्त करने और उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, साथ ही उनके संपर्क विवरण व्यापक रूप से प्रसारित करने होंगे।
- **क्षमता निर्माण एवं संवेदनशीलता**: पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को समय-समय पर मामलों की संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वास्तविक दावों और तुच्छ मामलों में भेद किया जा सके। जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरणों को बुनियादी स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने होंगे।

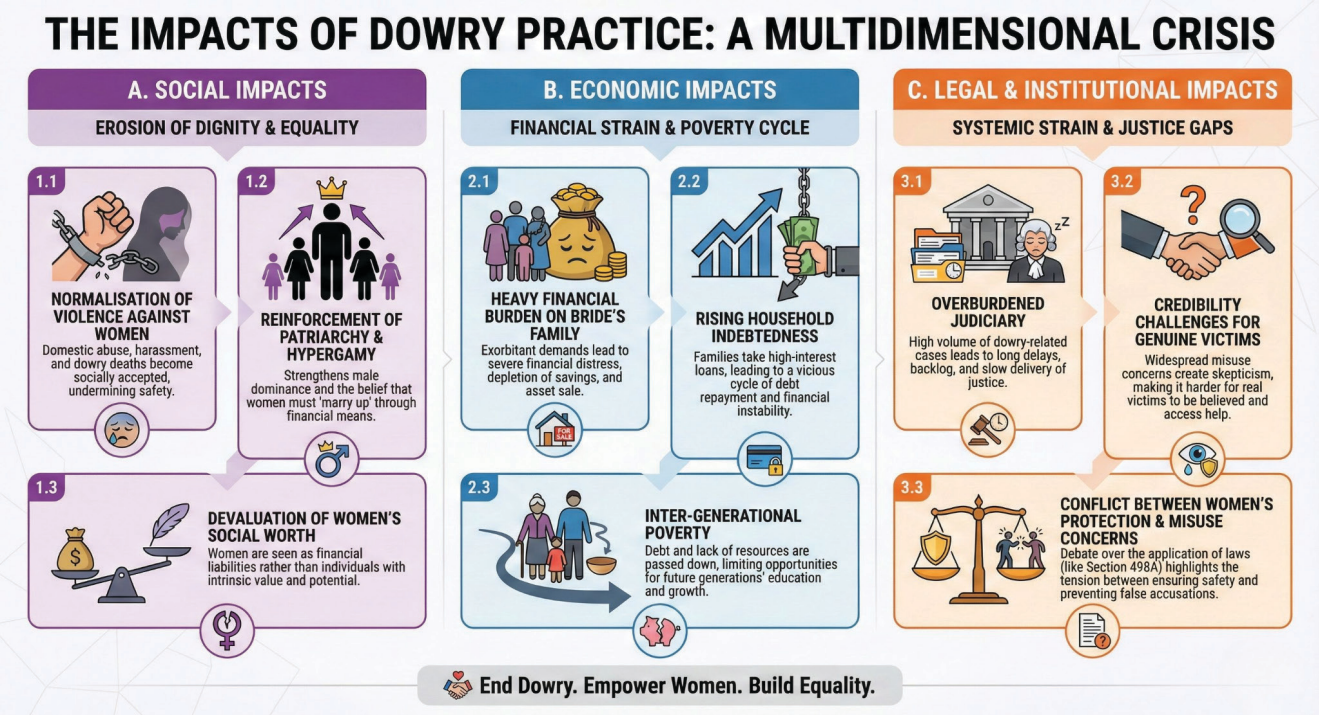

भारत में दहेज मामले

- *एनसीआरबी की "क्राइम इन इंडिया 2023" रिपोर्ट* के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मामलों में 14% वृद्धि दर्ज की गई है — 2022 में 13,479 से बढ़कर 2023 में 15,489 मामले हुए, साथ ही देशभर में 6,156 दहेज मृत्यु हुईं।
- उत्तर प्रदेश 7,151 मामलों और 2,122 मृत्युओं के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद बिहार, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का स्थान रहा।
- 83,000+ लंबित दहेज-संबंधी मामलों में दोषसिद्धि दर 11-17% के बीच रही, जबकि 833 हत्याएँ स्पष्ट रूप से दहेज प्रेरित थीं; सामाजिक कलंक और पारिवारिक दबाव के कारण कम रिपोर्टिंग बनी हुई है।

संबंधित कानून और संवैधानिक आधार

- दहेज *दहेज निषेध अधिनियम, 1961* के अंतर्गत प्रतिबंधित है, जो दहेज देने, लेने और माँगने को अपराध घोषित करता है तथा दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- वर्तमान कानूनी ढाँचा इस व्यवस्था को *धारा 498-ए (बीएनएस की धारा 85 और 86)* के माध्यम से सुदृढ़ करता है, जो विवाहित महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता को संबोधित करता है, और *धारा 304-बी (बीएनएस की धारा 80)* के माध्यम से, जो विवाह के सात वर्षों के अंदर होने वाली दहेज मृत्यु से संबंधित है।
- संवैधानिक रूप से, दहेज के विरुद्ध संघर्ष को *अनुच्छेद 14 और 15* से वैधता मिलती है, जो समानता की गारंटी देते हैं तथा भेदभाव को निषिद्ध करते हैं; *अनुच्छेद 21* से, जो गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है; और *अनुच्छेद 51ए(ई)* से, जो नागरिकों पर महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं का परित्याग करने का मौलिक कर्तव्य डालता है।

Source: BS

मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति

संदर्भ

- भारत के राष्ट्रपति ने *राज कुमार गोयल* को *केंद्रीय सूचना आयोग* के *मुख्य सूचना आयुक्त* के रूप में पद की शपथ दिलाई।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) भारत में एक वैधानिक निकाय है, जिसे *सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005* के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- केंद्रीय सूचना आयोग में एक *मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)* और अधिकतम दस *सूचना आयुक्त (IC)* होते हैं।
- सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं:
  - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष),
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता, और
  - प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री।
- **कार्यकाल:** मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है।

पात्रता मानदंड

- *सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005* की धारा 12(5) के अनुसार CIC और IC ऐसे व्यक्ति होंगे:
  - जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित हों तथा विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन एवं शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखते हों।
  - जो संसद या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की विधानमंडल के सदस्य न हों, न ही कोई लाभ का पद धारण करते हों, न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों, न कोई व्यवसाय कर रहे हों और न ही कोई पेशा अपना रहे हों।

शक्तियाँ और कार्य

- जांच करते समय आयोग को निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं:
  - व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने तथा दस्तावेज़ या वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

- दस्तावेज़ों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता करना।
- शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना।
- गवाहों या दस्तावेज़ों की परीक्षा हेतु समन जारी करना।
- और कोई अन्य विषय जो अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

- शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी अभिलेख की परीक्षा कर सकता है जो लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में हो, और ऐसा कोई अभिलेख किसी भी आधार पर उससे रोका नहीं जा सकता।
- आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

Source: PIB

सिलीसेढ़ झील और कोप्रा जलाशय नए रामसर स्थलों के रूप में नामित

संदर्भ

- भारत ने *सिलीसेढ़ झील* और *कोप्रा जलाशय* को अपना 95वाँ और 96वाँ रामसर स्थल घोषित किया, जिससे देश की कुल संख्या 2014 में 26 से बढ़कर अब 96 हो गई।

वेटलैंड्स क्या हैं?

- रामसर कन्वेंशन की परिभाषा के अनुसार वेटलैंड्स में शामिल हैं:
  - "दलदल, फेन, पीटलैंड या जल क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी, जिनमें जल स्थिर या प्रवाहित, स्वच्छ, लवणीय या नमकीन हो सकता है, और समुद्री जल क्षेत्र भी शामिल हैं जिनकी गहराई निम्न ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती।"
- **मानव-निर्मित वेटलैंड्स**: मछली और झींगा तालाब, खेत तालाब, सिंचित कृषि भूमि, नमक के खेत, जलाशय, बजरी गड्ढे, सीवेज फार्म और नहरें।

रामसर कन्वेंशन क्या है?

- रामसर कन्वेंशन सबसे पुराने अंतर-सरकारी समझौतों में से एक है, जिसे सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के अपने वेटलैंड्स के पारिस्थितिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए हस्ताक्षरित किया।
- यह 2 फरवरी, 1971 को *रामसर, ईरान* में हस्ताक्षरित हुआ और 1975 में लागू हुआ।
  - भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षरी बना।

राजस्थान में नए घोषित रामसर स्थल

- **सिलीसेढ़ झील**: यह एक मानव-निर्मित स्वच्छ जल की झील है, जिसे 1845 में *अलवर के महाराजा विनय सिंह* द्वारा निर्मित किया गया था।
  - इसे मूल रूप से अलवर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
  - यह झील *सरिस्का टाइगर रिज़र्व* के निकट स्थित है, जिससे इसका पारिस्थितिक महत्व और बढ़ जाता है।
- **कोप्रा जलाशय**: यह *बिलासपुर* के निकट स्थित है और *छत्तीसगढ़ का प्रथम रामसर स्थल* है।
  - यह *महानदी नदी* के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है और स्वच्छ जल का स्रोत तथा जैव विविधता का आवास प्रदान करता है।

Source: TOI

मैंग्रोव की कोशिकाएं पौधों को लवणीय जल में तनाव सहन करने में सहायक

संदर्भ

- *करंट बायोलॉजी* में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने उन कोशिकीय अनुकूलनों की व्याख्या की है जो मैंग्रोव प्रजातियों को अत्यधिक लवणीय तनाव सहन करने में सक्षम बनाते हैं। यह अध्ययन भविष्य में नमक-सहिष्णु फसलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ

- **मुख्य कोशिकीय लक्षण (स्टोमाटा-आधारित नहीं)**: मैंग्रोव प्रकाश संश्लेषण बढ़ाने के लिए छोटे या अधिक संख्या वाले स्टोमाटा पर निर्भर नहीं होते।

- इसके बजाय, इनमें असामान्य रूप से छोटे पत्ती एपिडर्मल पेवमेंट कोशिकाएँ और मोटी कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जो मिलकर उन्हें कम परासरणीय क्षमता को सहन करने के लिए अधिक यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं।

- **नमक प्रबंधन रणनीतियाँ**
  - **नमक बहिष्करण** : कुछ मैंग्रोव में मोमी जड़ परतें होती हैं जो जल पौधे में प्रवेश करने से पहले नमक को छान देती हैं।
  - **नमक स्रवण** : अन्य प्रजातियाँ नमक को अवशोषित करती हैं लेकिन इसे विशेषीकृत पत्ती ऊतकों के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं।

मैंग्रोव

- मैंग्रोव एक छोटा पेड़ या झाड़ी है जो तटरेखाओं के साथ उगता है और प्रायः जल के अंदर नमकीन अवसादों में जड़ें जमाता है।
- मैंग्रोव पुष्पीय वृक्ष हैं, जो *राइजोफोरेसी, एकेंथेसी, लिथ्रेसी, कोम्ब्रेतेसी, और एरेकेसी* परिवारों से संबंधित हैं।
- **विशेषताएँ (Features)**
  - **नमकीन वातावरण**: मैंग्रोव की विशेषता यह है कि वे उच्च लवणीय और कम ऑक्सीजन जैसी अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं।
    - जड़ें लवणीय और लवणीय-स्वच्छ जल में संपर्क में आने वाले 90% नमक को छान देती हैं।
  - **कम ऑक्सीजन**: किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतक को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मैंग्रोव की जड़ प्रणाली वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित करती है।
  - **स्वच्छ जल का भंडारण**: रेगिस्तानी पौधों की तरह मैंग्रोव मोटी रसीली पत्तियों में मीठा पानी संग्रहित करते हैं।
  - **जीवज (Viviparous)**: इनके बीज माता वृक्ष से जुड़े रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद बीज पौधा *प्रोपैग्यूल* में विकसित होता है।
- *पश्चिम बंगाल के सुंदरबन* विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन *भितरकनिका (रामसर स्थल), ओडिशा* में है, जो *ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों* के दो डेल्टा द्वारा निर्मित है।

मैंग्रोव का महत्व

- **प्राकृतिक तटीय रक्षा**: 50 वर्ष प्राचीन और 100–1,000 मीटर चौड़ा परिपक्व मैंग्रोव बेल्ट तरंग ऊर्जा को 7–55% तक कम कर सकता है, जिससे चक्रवात, तूफानी लहरें एवं तटीय बाढ़ का प्रभाव गैर-मैंग्रोव तटरेखाओं की तुलना में काफी कम हो जाता है।

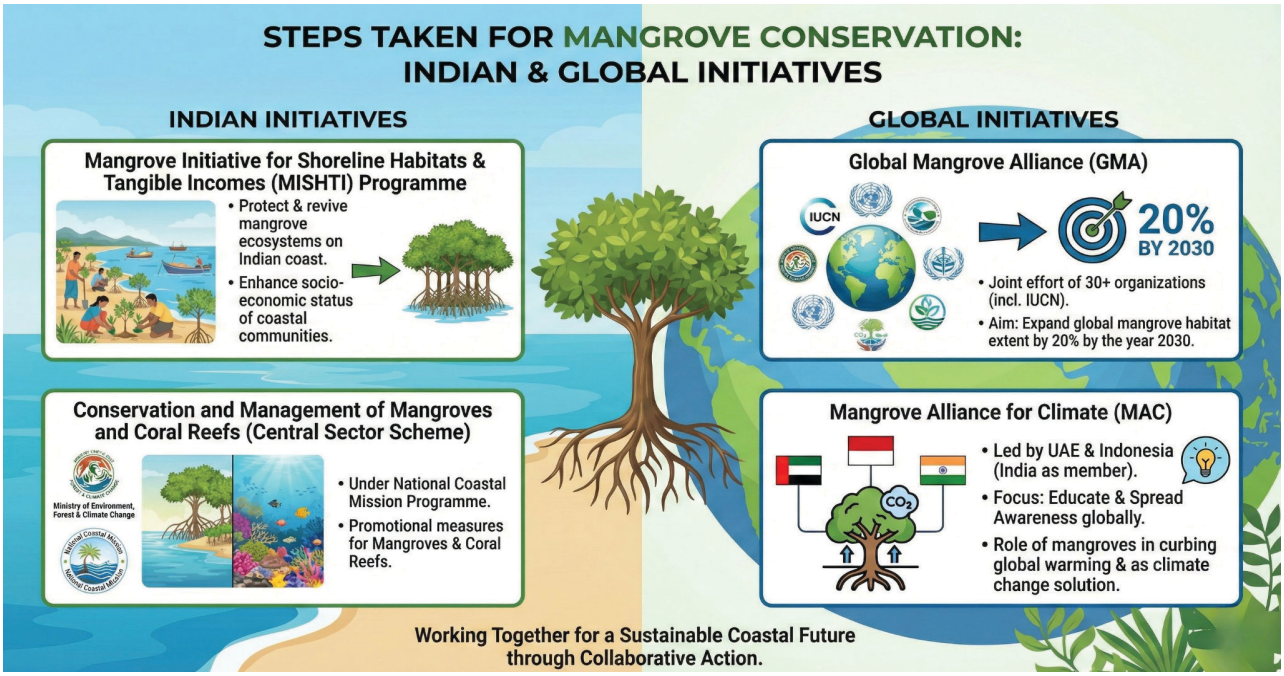

- **जैव विविधता हॉटस्पॉट**: भारत के मैंग्रोव लगभग 4,011 प्रजातियों का समर्थन करते हैं, जिनमें 920 पौधों की प्रजातियाँ और 3,091 पशु प्रजातियाँ शामिल हैं।
- **जलवायु परिवर्तन शमन (ब्लू कार्बन)**: मैंग्रोव प्रति एकड़ उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 7.5–10 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं।
- **जीविका और आर्थिक सुरक्षा**: मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र मत्स्य पालन, जलीय कृषि, इको-पर्यटन और पुनर्स्थापन गतिविधियों के माध्यम से विश्व स्तर पर लाखों आजीविकाओं का समर्थन करता है, जिससे संवेदनशील तटीय समुदायों को आय सुरक्षा मिलती है।
- **लागत-प्रभावी प्रकृति-आधारित समाधान**: आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और कार्बन पृथक्करण को मिलाकर मैंग्रोव इंजीनियर तटीय रक्षा की तुलना में कम लागत एवं उच्च प्रभाव वाला समाधान प्रदान करते हैं।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

पेरुम्बिदुगु मुथारैयार

संदर्भ

- राजा *पेरुम्बिदुगु मुत्तरैयार द्वितीय (सुवर्ण मरन)* के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट उपराष्ट्रपति *सी. पी. राधाकृष्णन* द्वारा जारी किया गया।

परिचय

- *पेरुम्बिदुगु मुत्तरैयार (705 ईस्वी–745 ईस्वी)*, जिन्हें *सुवर्ण मरन* भी कहा जाता है, *पल्लवों* के सामंत *मुत्तरैयार वंश* के शासक थे।
  - वे गौरवशाली *मुत्तरैयार वंश* से संबंधित थे, जिसने 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच *तमिलनाडु* के मध्य क्षेत्रों पर शासन किया।
- उन्होंने लगभग चार दशकों तक *तिरुचिरापल्ली* से शासन किया। उनके शासनकाल की विशेषताएँ थीं: प्रशासनिक स्थिरता, क्षेत्रीय विस्तार, सांस्कृतिक संरक्षण और सैन्य कौशल।
- माना जाता है कि पेरुम्बिडुगु मुत्तरैयार ने *पल्लव राजा नंदिवर्मन* के साथ कई युद्धों में वीरतापूर्वक भाग लिया और उन्हें एक महान प्रशासक के रूप में स्मरण किया जाता है।
- धार्मिक नीतियाँ: पल्लव शासनकाल में *जैन धर्म और बौद्ध धर्म* के प्रभुत्व के बीच *हिंदू धर्म* का पुनरुत्थान हुआ।
  - उनके सामंतों के रूप में मुत्तरैयार महान मंदिर निर्माता थे।

स्रोत: IE

प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री *नरेंद्र मोदी* ने अपनी दो दिवसीय *जॉर्डन यात्रा* पूरी की।

परिचय

- यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच प्रथम पूर्ण द्विपक्षीय सहभागिता को दर्शाती है और ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश *75 वर्ष* की राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
- पाँच *समझौता ज्ञापन (MoUs)* पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल हैं: संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और *पेट्रा* तथा *एलोरा* के ऐतिहासिक स्थलों के बीच *ट्विनिंग व्यवस्था*।
- भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को *5 अरब डॉलर* तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।
  - उन्होंने जॉर्डन की *डिजिटल भुगतान प्रणाली* और भारत के *यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)* के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित किया।
  - वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत-जॉर्डन का कुल व्यापार *2.875 अरब अमेरिकी डॉलर* तक पहुँचा, जिसमें भारत का जॉर्डन को निर्यात *1.465 अरब अमेरिकी डॉलर* रहा।
- जॉर्डन भारत के लिए *फॉस्फेट्स और पोटाश उर्वरकों* का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

- दोनों पक्षों ने भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए *उर्वरक उत्पादन* में निवेश पर भी चर्चा की, जिसमें जॉर्डन भारत के लिए फॉस्फेट्स का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है।

जॉर्डन के बारे में

- *पश्चिम एशिया* का एक देश, जो *मध्य पूर्व* में स्थित है।
- **सीमाएँ:** पश्चिम में *इज़राइल और फिलिस्तीन*, दक्षिण और पूर्व में *सऊदी अरब*, पूर्व में *इराक*, उत्तर में *सीरिया*।
  - डेड *सी* एक स्थलरुद्ध नमकीन झील है, जो *इज़राइल और जॉर्डन* के बीच दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित है।
- जॉर्डन स्थलरुद्ध है, सिवाय *अकाबा (रेड सी)* पर एक छोटे तटीय क्षेत्र के।
- **राज्य प्रमुख:** *राजा अब्दुल्ला द्वितीय* (1999 से)।
- जॉर्डन के मुख्य जातीय समूह *अरब* हैं, जिनमें प्रमुख रूप से *जॉर्डनवासी और फिलिस्तीनी* शामिल हैं।

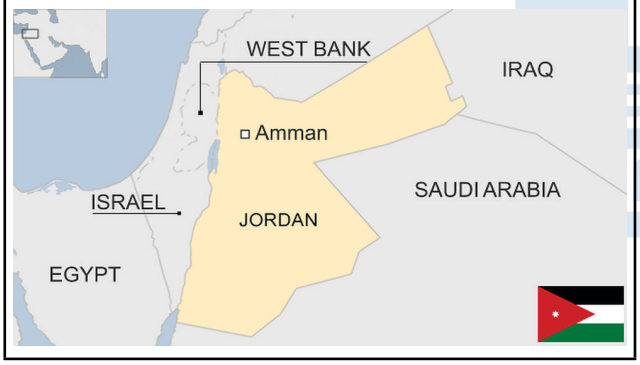

Source: DD

भारत-एडीबी द्वारा 2.2 अरब डॉलर से अधिक के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर

संदर्भ

- भारत सरकार और *एशियाई विकास बैंक (ADB)* ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु पाँच ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनकी कुल राशि *2.2 अरब अमेरिकी डॉलर* से अधिक है।

एशियाई विकास बैंक के बारे में

- ADB एक *क्षेत्रीय विकास बैंक* है, जिसकी स्थापना 1966 में *सामाजिक और आर्थिक विकास* के लिए की गई थी।
- **सदस्य**: इसके 69 सदस्य हैं, जिनमें भारत एक संस्थापक सदस्य है।
- यह एक *बहुपक्षीय विकास बैंक* है, जिसका उद्देश्य अपने विकासशील सदस्य देशों को गरीबी कम करने और समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से सतत विकास तथा क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करना है।
- ADB एक *वेटेड वोटिंग सिस्टम* का उपयोग करता है, जो सदस्यों की पूंजी सदस्यता पर आधारित है। वर्तमान शीर्ष पाँच शेयरधारक और उनके अनुमानित हिस्सेदारी प्रतिशत इस प्रकार हैं:
  - जापान (15.6%)
  - संयुक्त राज्य अमेरिका (15.6%)
  - चीन (6.4%)
  - भारत (6.3%)
  - ऑस्ट्रेलिया (5.8%)
- **मुख्यालय**: *मनीला, फिलीपींस*।

स्रोत: PIB

संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन

समाचार में

- *संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं का गठबंधन (UNAOC)* ने विभाजन को कम करने, ध्रुवीकरण घटाने और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के दो दशक पूरे कर लिए हैं।

UNAOC के बारे में

- **सचिवालय**: *न्यूयॉर्क*
- **प्रारंभ**: 2005
- **आरंभकर्ता**: *तुर्की गणराज्य और स्पेन*, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में।
- **उद्देश्य**:
  - राष्ट्रों और समुदायों के बीच अंतर-सांस्कृतिक एवं अंतर-धार्मिक संबंधों में सुधार।
  - ध्रुवीकरण, उग्रवाद, ज़ेनोफोबिया और घृणा भाषण का सामना।

- पारस्परिक समझ, समावेशन और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना।

भारत के लिए प्रासंगिकता

- यह भारत की *बहुलवाद* और *"वसुधैव कुटुम्बकम"* की सभ्यतागत भावना के अनुरूप है।
- यह भारत की *अंतर-धार्मिक सद्भावना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग* और *बहुपक्षीय शांति पहलों* में सहभागिता का समर्थन करता है।

स्रोत: DD News

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण विधेयक 2025

संदर्भ

- *राष्ट्रीय रक्त संक्रमण विधेयक, 2025* संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में रक्त संक्रमण सेवाओं के लिए एक समर्पित कानूनी और संस्थागत ढाँचा स्थापित करना है।

परिचय

- वर्तमान में रक्त संक्रमण सेवाएँ *औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940* के अंतर्गत विनियमित हैं, जिसे रक्त जैसी जीवन-रक्षक सार्वजनिक संसाधन के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त माना जाता है।
- यह विधेयक रक्त संक्रमण सेवाओं को नियामक अस्पष्टता से बाहर निकालकर एक स्पष्ट, *सुरक्षा-प्रथम राष्ट्रीय ढाँचे* में लाने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय रक्त संक्रमण विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- *राष्ट्रीय रक्त संक्रमण प्राधिकरण (NBTA)* की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में।
- NBTA द्वारा समान राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण, जिनमें शामिल हैं:
  - रक्त का संग्रह, परीक्षण और प्रसंस्करण।
  - रक्त और रक्त घटकों का भंडारण, वितरण, निर्गमन और संक्रमण।
- देशभर में सभी रक्त केंद्रों का अनिवार्य पंजीकरण।
- असुरक्षित, अनैतिक या गैर-अनुपालन प्रथाओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान।
- समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से *स्वैच्छिक रक्तदान* को बढ़ावा।
- संक्रमण-संबंधी प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी हेतु *राष्ट्रीय हीमोविजिलेंस प्रणाली* का निर्माण।

Source: TH

ध्रुव64 (DHRUV64)

- **समाचार में (In News)**
- भारत ने *ध्रुव64 माइक्रोप्रोसेसर* लॉन्च किया है।

परिचय

- **प्रकार**: सामान्य-उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर
- **विकसित किया गया**: *सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)* द्वारा, भारत सरकार के *माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (MDP)* के अंतर्गत।
- **आर्किटेक्चर**: 64-बिट, डुअल-कोर
- **क्लॉक स्पीड**: 1.0 GHz
- **स्थिति**: पूर्णतः स्वदेशी (भारत में डिज़ाइन और विकास)
- **कार्य**: यह कंप्यूटर, मोबाइल, एम्बेडेड सिस्टम और नियंत्रण इकाइयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का "मस्तिष्क" है।

महत्व

- यह *5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, IoT और सामरिक उपयोगों* के लिए उपयुक्त है।
- यह भारत की *20% वैश्विक माइक्रोप्रोसेसर खपत* के बीच आयात पर निर्भरता को कम करता है।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

समाचार में

- *कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड (KREDL)* ने *राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025* जीता है, यह पुरस्कार *राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार (SDA ग्रुप-1)* श्रेणी में दिया गया।

- *SDA ग्रुप-1 श्रेणी* के अंतर्गत पुरस्कार उन राज्यों को दिए जाते हैं जिनकी ऊर्जा खपत अधिक है और जिनके पास उन्नत ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) के बारे में

- **संस्थापक**: *ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE)*
- **मंत्रालय**: *भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय*
- **उद्देश्य**: ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देना।
  - राज्यों, उद्योगों और संस्थानों को ऊर्जा तीव्रता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **प्रथम स्थापना:** 1991 (राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार योजना के रूप में)।

Source: TH

■■■■